an>

Title: Need to include 'Julaha' caste alongwith 'Kori' caste of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Caste.

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : महोदय, पुरातन काल में भारत में रहने वाले लोगों अपने शरीर पर जो कपड़ा पहनते थे, उसे बुनने का काम हिंदू जुलाहा और कोरी जाति के लोग करते थे, जिन्हें कबीरपंथी समाज भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कोरी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है। कोरी जाति और जुलाहा जाति एक ही हैं, लेकिन जुलाहा जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि अन्य प्रदेशों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यहां तक कि जम्मू-कश्मीर में भी कोरी जाति और जुलाहा जाति को अनुसूचित जाति में माना गया है। वर्ष 1997 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब एक आदेश भी पारित हुआ था कि जुलाहा जाति को कोरी जाति के साथ सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन राजनीति के चलते जो सरकारें बनीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन सरकारों ने जुलाहा जाति को उस सूची में से हटा दिया। आज जिन लोगों के नाम के आगे जुलाहा जाति लिखा हुआ है, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक रूप से इन पिछड़े लोगों को उत्तर प्रदेश में अनुसुचित जाति की सूची में शामिल कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि अनुसूचित जाति की अनुसूची में कोरी समाज के संग हिंदू जुलाहा और कबीरपंथी जुलाहा को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिल सकें और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष :

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

डॉ. भोला सिंह,

श्री शरद त्रिपाठी और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को

*m06 श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।